

अनियमितताओं के कारण लिया बड़ा फैसला
62 निजी कॉलेजों की
एनओसी रद्द, 46
अन्य भी रडार पर

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर . उच्च शिक्षा विभाग ने अनियमितताओं के कारण प्रदेश में 62 निजी कॉलेजों का अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) रद्द कर दी है। अभी 46 निजी कॉलेज और विभाग के रडार पर हैं, जिनकी जांच विचाराधीन हैं। जल्द ही इनपर भी फैसला होगा।

कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने जिन कॉलेजों की एनओसी रद्द की है, उन्हें नोटिस भेजकर सूचित कर दिया है। साथ ही आयुक्तालय ने स्पष्ट किया है कि एनओसी निरस्त होने के बाद संस्था को किसी तरह का पुनर्भुगतान नहीं किया जाएगा और राज्य सरकार किसी भी प्रकार का दायित्व वहन नहीं करेगी। इन कॉलेजों की सूचना संबंधित निजी कॉलेज के साथ संबंधित जिला कलक्टर, संबंधित सरकारी विश्वविद्यालय के कुलसचिव को भी भेज दी है। इसके साथ ही संबंधित विश्वविद्यालयों से कॉलेजों की मान्यता भी समाप्त हो जाएगी। 17 कॉलेजों के मामले कोर्ट में चल रहे हैं, इस कारण उन पर फैसला नहीं लिया गया है।

कमियां दूर नहीं की

कॉलेजों को कई मौके दिए गए, लेकिन फिर भी कमियों को दूर नहीं कर पाए। अब उनकी एनओसी रद्द की गई है।

प्रदीप बोरड, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा

दो साल में 151 कॉलेजों की जांच

विभाग ने 2015-16 व 2016-17 में अस्थाई एनओसी पर अनियमित रूप से चल रहे 151 निजी कॉलेजों की जांच के आदेश दिए थे। तीन वर्षों में कॉलेजों को सुनवाई के कई मौके दिए गए। इसके बाद भी कमियों को पूरा नहीं करने पर पेनल्टी लगाई गई। कई बार शिविर भी लगाए गए। इसी वर्ष 20 जनवरी को कॉलेजों को आखिरी मौका दिया गया था, लेकिन तब तक भी जिन 62 कॉलेजों ने कमियों को दूर नहीं किया गया, उनकी एनओसी रद्द कर दी गई है। 26 कॉलेजों ने अनियमितताएं दूर कर दी थी, उनकी एनओसी बरकरार रखी गई है।